165

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

I/निगरानी/पन्ना/भू० रा/2017/4970

हुकुमचंद पिता गुनुवा लोधी उम्र 65 वर्ष

निवासी ग्राम मूलपारा तहसील रैपुरा जिला पन्ना म0प्र0 ------ रिवीजनकर्ता

विरूद्ध

1— मुस. शांतिबाई बेवा पुनौवा चमार उम्र 70 वर्ष

2— करन पिता पनौवा उम्र 40 वर्ष

दोनों निवासी मूलपारा तहसील रैपुरा जिला पन्ना म0प्र0

3— रूकमन बाई पुत्री गुनुवा लोधी पति गोविन्द लोधी

निवासी बसेड़ी तहसील बहोरीबंद जिला कटनी म0प्र0

4— सुभद्रा बाई पुत्री गुनुवा लोधी पति तुलसीराम लोधी

निवासी ग्राम बगरौड तहसील रैपुरा जिला पन्ना म0प्र0

5— सोना बाई पुत्री गुनुवा लोधी पति गोरीशंकर लोधी

निवासी ग्राम सिहुडी तहसील बहोरीबंद जिला कटनी म0प्र0

6— गीता बाई पुत्री गुनुवा लोधी पति मथुरा प्रसाद लोधी

निवासी ग्राम रूपझिर तहसील रैपुरा जिला पन्ना म0प्र0

7— म0प्र0 शासन

द्वारा — तहसीलदार रैपुरा जिला पन्ना म0प्र0

उत्तरार्थीगण

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता

उपरोक्त नामांकित रिवीजनकर्ता माननीय न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी शाहनगर जिला पन्ना के अपील प्रकरण क्रमांक 10/अपील/2015—16 पक्षकार मुस0शांतिबाई बेवा पुनौवा चमार विरूद्ध हुकुमचंद एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 02—11—2017 से दुखित होकर विधि एवं तथ्यों के अन्य आधारों के अलावा निम्नलिखित आधारों पर यह रिवीजन प्रस्तुत करता है :—

/2/

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–एक / निगरानी / पन्ना / भू.रा. / 2017 / 4970

हुकुमचंद लोधी विरूद्ध मुस. शांतिबाई आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22–08–2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी शाहनगर, जिला–पन्ना के प्रकरण क्रमांक 10 / अपील / 2015–2016 में पारित आदेश दिनांक 02–11–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–07–2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–पन्ना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 04–11–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	